

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर


क्रमांक C/8675 /  
II-14-62/87

// आदेश //

जबलपुर, दिनांक 10 / 12 / 2024

श्री प्रशांत पी. गाड़े, तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) वर्तमान में जूनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर को पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 10.06.2024 से 30.07.2024 तक 51 दिन एवं दिनांक 31.07.2024 से 17.08.2024 तक 18 दिन के निरन्तरता में दिनांक 18.08.2024 से 04.09.2024 तक 18 दिन का अर्जित अवकाश इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में आपके आवेदन दिनांक 20.08.2024 में दर्शाये गए कारणों के आधार पर पुनः अर्जित अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार


  
(धरमिन्दर सिंह)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/8676 /  
II-14-62/87

जबलपुर, दिनांक 10/12/2024

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 4778/स्था. ग्वालियर, दिनांक 03/09/2024 के संदर्भ में श्री प्रशांत पी. गाड़े, तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) वर्तमान में जूनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर का आवेदन पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।  
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(हर्ष सिंह बहरावत)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)